अध्याय 8

निष्कर्ष एवं सिफारिशें

एमओपीएनजी ने मार्च 2000 में देश के आर्थिक वृद्धि में हाईड्रोकार्बन सेक्टर की महत्वपूर्ण भूमिका पर जोर देते हुए 2025 तक भारतीय तलछटी घाटी के 100 प्रतिशत अन्वेषण कवरेज की दीर्घावधि पॉलिसी वाले हाईड्रोकार्बन विजन 2025 को निरूपित किया।

उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए ऑयल इण्डिया लिमिटेड (ओआईएल) के हाईड्रोकार्बन अन्वेषण प्रयासों (2009-10 से 2013-14) की निष्पादन लेखापरीक्षा की गई थी। लेखापरीक्षा ने यह देखने का प्रयास किया कि क्या ओआईएल के अन्वेषण प्रयास उचित योजना के साथ किए गए थे और इसके अपने और राष्ट्र के परिकल्पित हाईड्रोकार्बन लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए दक्षता और प्रभाविकता से निष्पादित किए गये थे।

8.1 निष्कर्ष

लेखापरीक्षा ने देखा कि हाईड्रोकार्बन रिजर्व की निवल वृद्धि में ओआईएल का योगदान मात्र संभाव्य श्रेणी के अन्तर्गत था, क्योंकि 2 पी श्रेणी (जो कि संभाव्य है) के तहत रिजर्व बढ़ा और 1 पी (जो कि प्रमाणित है) श्रेणी के तहत कम हुआ। इसके अतिरिक्त 3 पी (जो कि संभावित है) श्रेणी के तहत तेल रिजर्व कम हुआ जिसने दर्शाया कि अन्वेषण गतिविधियों द्वारा कोई भी नई फील्ड जोड़ी नही जा रही थी। सभी श्रेणियों के तहत गैस रिजर्व भी कम हुए। ओआईएल ने इसके एमओयू में नियत रिजर्व अभिवृद्धि के लिए लक्ष्य को प्राप्त नहीं किया था। यद्यपि ओआईएल ने जैसा कि निर्धारित था एक से अधिक के आरआरआर को प्राप्त कर लिया था फिर भी अंतिम रिजर्व अभिवृद्धि में गिरावट दर्ज की गई थी।

ओआईएल नवीनतम प्रौधोगिकी की गैर - उपलब्धता के कारण नामांकन व्यवस्था में तीन - खोजों के मुद्रीकारण में असफल रहा। मुख्य एनओसी में से एक और वित्तीय संसाधन और ई एण्ड पी सेक्टर दोनों में अनुभव होने के बावजूद ओआईएल का निष्पादन उद्योग में साथियों से पिछड़ा रहा था क्योंकि इसने एनईएलपी के तहत जुलाई 2012 में केवल एक खोज की थी जिसका अप्रैल 2015 तक मुद्रीकरण नहीं किया गया था।

ओआईएल ने न तो किन्हीं भी पाँच वर्षो में अपना 2 डी सर्वेक्षण का लक्ष्य और न ही पाँच वर्षो में से तीन वर्षों में 3 डी सर्वेक्षण का अपना लक्ष्य प्राप्त किया। एपीआई चक्र के पूरा होने में विलम्ब, आंतरिक सर्वेक्षण और आउटसोर्स सर्वेक्षण के लिए नियत समय की अनुपस्थिति थी। ठेके सामयिक रूप से नहीं दिए गए थे। सर्वेक्षण ठेके ने ठेकागत खंडो में कमियों को भी उजागर किया जिसके कारण ठेकेदारों को अनुचित लाभ और अपूर्ण कार्य के लिए शास्ति भुगतान हुआ।

अन्वेषी ड्रिलिंग के साथ-साथ विकास ड्रिलिंग में महत्वपूर्ण कमियाँ थी। ओआईएल ने इसकी मुख्य अन्वेषण गतिविधियों पर अपेक्षित जोर नहीं दिया। इसके अलावा, एमओयू लक्ष्य निर्धारण और रिपोर्टिंग तथा निष्पादन मापन (आरआरआर द्वारा) में विसंगतियां थी। ड्रिलिंग गहराई में ओआईएल का निष्पादन भी संतोषजनक नहीं था। वहाँ पर स्वयं के और भाड़े के रिगों दोनों के वाणिज्यिक और साईकल गति में असामान्य उतार- चढ़ाव थे।

अपनी ड्रिलिंग रिग 9 और 36 वर्षो की सीमा के बीच पुरानी थी। अपनी रिगो के प्राप्त करने के लिए और रिगों को चार्टर भाड़े पर लेने के लिए ठेकों की समीक्षा करते समय लेखापरीक्षा ने बहुत सी कमियाँ पाई जिसमें अपर्याप्त विलंब, रिगो के जुटाने के लिए अनुमत परिहार्य समय, ठेकागत निबंधन एवं शर्तो का उल्लंघन रिगो के विनिर्माता से अधिक आपूर्तीकारों को वरीयता और निविदा पद्धति का सहारा लिए बिना रिगो की अधिप्राप्ति आदि शामिल है जिसके कारण पारदर्शिता का अभाव हुआ।

लेखापरीक्षा ने देखा कि नामांकन ब्लॉक्स में ओआईएल का निष्पादन असंतोषजनक रहा और देश के हाइड्रोकार्बन रिजर्व से जोड़ने के लिए बहुत कम खोजे दी गई है। इसने बहुत कम पीईएल ब्लॉक को पीएमएल में परिवर्तित किया, पीईएल ब्लॉक को 28 वर्षो तक पीएमएल में परिवर्तित किए बिना रखा, 15 से 26 वर्षो तक और किसी खोज के बिना पीईएल ब्लॉक को रखने के बाद छोड़ा पीएमएल ब्लाक्स बहुत समय तक निष्क्रिय रहे।

एनईएलपी व्यवस्था के तहत बोली प्रक्रिया में ओआईएल की भागीदारी और सफलता कम रही। जहाँ ओआईएल परिचालक था वहाँ एनईएलपी ब्लॉक्स देने में, इसने एमडब्लयूपी कम प्राप्त किया और बहुत से मामलों में एमओपीएजी को एलडी का भुगतान किया। इसने वचनबद्ध कार्य को पूर्ण किए बिना एनईएलपीब्लॉकस को भी छोड़ दिया। रूचिकर यह है कि ओआईएल ने भी उसी क्षेत्र में एनईएलपी ब्लॉक के लिए बोली भी लगाई जहाँ इसने सभार तन्त्र बाधाओं के लिए पहले से ही पीईएल ब्लॉक को छोड़ दिया था। लेखापरीक्षा नें यह भी देखा कि ओआईएल द्वारा छोड़े गए दो पीईएल ब्लाक में; हाईड्रोकार्बन की खोज पूर्व-एनईएलपी/एनईएलपी व्यवस्था के तहत निजी प्रचालकों द्वारा की गई थी।

ओआईएल के बजटीय परिव्यय की वित्तीय प्राप्ति/उपयोग में निरंतर कमी हुई थी। ओआईएल के पास इसके अधिक लसीले हैवी आयल की खोजो के मुद्रीकरण के लिए पर्याप्त प्रौधेगिकी नहीं थी।

8.2 सिफारिशें

ओआईएल के साथ - साथ एमओपीएनजी यह सुनिश्चित कर सकता है कि ओआईएल का मुख्य कारबार अर्थात एक अपस्ट्रीम एनओसी के रूप में हाईड्रोकार्बन अन्वेषण को निम्न सिफारिशों के रूप में प्राथमिकता दी जाए:

- ओआईएल 3 पी से 2 पी और 2 पी से 1 पी तक की श्रेणी के रिजर्व के आनुपातिक उन्नयन द्वारा रिजर्वों के साबित करने को सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक सामर्थ्य का निर्माण कर सकता है;
- एमओयू में अन्वेषण की उच्चतर मुख्य महत्वपूर्ण गतिविधि पर जोर देने के लिए एमओपीएनजी द्वारा वसूली योग्य रिर्जव की अभिवृद्धि के लिए दिए गए वेटेज को बढ़ाया जा सकता है;
- एपीआई चक्र के लिए प्रतिमानों को निरूपण किया जा सकता है और निष्पादन पैरामीटरों के साथ लिंक किया जा सकता है। अन्वेषण के सामयिक पूरा करने को सुनिश्चित करने के लिए ओआईएल अपने सर्वेक्षण ठेको को बारीकी से मॉनीटर कर सकता है;
- एमओपीएनजी को यह सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कदम उठाने चाहिए कि एनओसीज उनको दिए गए अन्वेषण लक्ष्यों को स्वीकार कर रहा है;
- ओआईएल पुराने रिगो, ड्रिलिंग, और वर्कओवर दोनों को बदलने के लिए समय पर इसकी अधिप्राप्ति योजना को अंतिम रूप दे सकता है;
- ओआईएल को प्रतिस्पर्धात्मक एनईएलपी व्यवस्था में प्रचालन और प्रत्याशित ब्लॉक के लिए विवेक पूर्ण ढ़ंग से बोली लगाने के लिए समर्थ होने के इसके अनुभव और संसाधनों को उपयोग करने के लिए समर्थ होना चाहिए;
- ओआईएल को एमडब्ल्यूपी कायर्क्रम का अनुपालन करना चाहिए ताकि पूर्णत: ब्लॉक के अन्वेषण और निर्णीत हर्जाने से बचा जा सके;
- एमओपीएनजी को ब्लॉक देने से पूर्व अन्वेषण संबंधी गतिविधियों को करने के लिए अनुमतियों की उपलब्धता को सुनिश्चित करना चाहिए;
- कमियों से बचने के लिए बजट की उपयोगिता पर उचित निगरानी की आवश्यकता है;
- ओआईएल को इसकी अनुसंधान एवं विकास गतिविधियों की ओर ध्यान देना चाहिए और विशेष तौर पर इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि यह एक नकदी सम्पन्न कम्पनी है, नवीनतम प्रौधोगिकी विदित होना चाहिए;

- ओआईएल को तकनीकी विभाग के साथ – साथ आंतरिक लेखापरीक्षा विभाग में कार्यकारियों की भर्ती पर अपनी कार्यवाई जल्द करनी चाहिए;
- ठेका नियमपुस्तक अघतन किया जाना चाहिए और ठेके सीवीसी दिशानिर्देशों के अनुसार देने की आवश्यकता है; वित्तीय सावधानी के सिद्धांतो और ठेके निष्पादन की निगरानी को अधिक कड़ा किया जाना चाहिए;
- एमआईएस सृजित करने हेतु ओआईएल के रिपोर्टिंग तन्त्र को सुदृढ़ करने की आवश्यकता है और विभिन्न निकायों द्वारा उनकी निगरानी बीओडी में पहुँचती है।

एमओपीएनजी ने सिफारिशों को स्वीकार किया (जुलाई 2015) और उचित कार्रवाई करने का आश्वासन दिया।

नई दिल्ली
दिनांक : 13 नवम्बर 2015

(प्रसेनजीत मुखर्जी)
उप नियंत्रक – महालेखापरीक्षक एवं
अध्यक्ष, लेखापरीक्षा बोर्ड

प्रतिहस्ताक्षरित

नई दिल्ली
दिनांक : 13 नवम्बर 2015

(शशि कान्त शर्मा)
भारत के नियंत्रक - महालेखापरीक्षक